कार्यालय प्राचार्य ,
चन्दूलाल चन्द्राकर शासकीय कला व वाणिज्य महाविद्यालय धमधा
जिला दुर्ग ÷छ.ग.)
Phone No. 07821-299594 , Email ID :- dhamdhacollege@yahoo.in
NAAC ACCREDITED – "B" COLLEGE CODE 1607

क्र/ 357 /2026

धमधा दिनांक 05.08.2026

!! निविदा आमंत्रण सूचना !!

शैक्षणिक सत्र 2026–27 में महाविद्यालय परिसर में केन्टीन भवन में सुविधा प्रारंभ की जानी है। इस हेतु इच्छुक आवेदक निम्नांकित प्रारूप में अपनी मुहरबंद निविदा महाविद्यालय में जमा कर सकते है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 अपरान्ह 04.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक से अनिवार्यतः पहुंच जाना चाहिये। निर्धारित तिथि एवं समय उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

टीप – केंटीन संचालन संबंधी अनुबंध की शर्ते –

Divya Nema 05/08/26
डॉ. दिव्या नेमा
केन्टीन प्रभारी

5.8.26
(डॉ.जी.डी.एस.बग्गा)
प्रभारी प्राचार्य
चं.चं.शासकीय महाविद्यालय धमधा,
जिला दुर्ग (छ.ग.)

प्राचार्य
चन्दूलाल चन्द्राकर शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय
धमधा जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E/CLC/Nema mam/ CANTEEN

कार्यालय प्राचार्य ,
चन्दूलाल चन्द्राकर शासकीय कला व वाणिज्य महाविद्यालय धमधा
जिला दुर्ग ÷छ.ग.)
Phone No. 07821-299594 , Email ID :- dhamdhacollege@yahoo.in
NAAC Accredited ''B'' 1607

धमधा दिनांक 05.08.2026

!! केन्टीन संचालन संबंधी शर्ते !!

सत्र 2026–2027 से महाविद्यालय प्रांगण में **केन्टीन** सुविधा प्रारंभ करने हेतु आवश्यक शर्ते :–

1. नशीली पदार्थों का निर्माण, विक्रय एवं उपभोग केन्टीन भवन एवं परिसर में पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
2. सामान्य कार्यालयीन दिवसों में केन्टीन संचालन की अवधि प्रातः 9.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगी।
3. प्रावधानानुसार प्रतिबंधित सामाग्रियों का निर्माण, विक्रय एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
4. विक्रय की जाने वाली वस्तुओं का विक्रय मूल्य सार्वजनिक रूप से अवलोकनार्थ प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
5. गैर कानूनी कार्य में लिप्तता पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से महाविद्यालय प्रशासन अनुबंध रद्द कर सकता है। एवं सुरक्षा निधि राजसात किया जा सकता है।
6. खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग व अन्य संबंधित विभाग से कार्य से संबंधी पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. स्वास्थ्य वर्धक , ताज़ा स्वच्छ, स्वादिष्ट उत्पाद का विक्रय किया जाना अनिवार्य होगा।
8. हानिकारक, पुरानी खाद्य सामग्री का वितरण एवं भंडारण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
9. केन्टीन भवन तथा आसपास के परिवेश स्थलों की स्वच्छता पर विषेश ध्यान दिया जायेगा।
10. केन्टीन संचालन संबंधी अनुबंध पत्र का निष्पादन अनुबंधकर्ता एवं महाविद्यालय प्रशासन के मध्य 11 माह के लिए किया जाएगा। महाविद्यालयीन प्रशासन के निर्णयानुसार अनुबंध घटाई–बढाई जा सकती है।
11. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर महाविद्यालय प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा।
12. महाविद्यालयीन सम्पत्तियों की सुरक्षा, संधारण एवं प्रबंधन का सम्पूर्ण दायित्व पक्षकार का होगा।
13. केन्टीन संचालन हेतु आवश्यक फर्नीचर, बर्तन एवं समस्त अन्य सामग्रियों की व्यवस्था पक्षकार द्वारा स्वयं करना होगा।
14. केन्टीन में जलपान हेतु कार्यालय अवधि में महाविद्यालय के विद्यार्थियों एवं स्टॉफ को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
15. केन्टीन भवन की संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा । आवश्यकतानुसार सामग्रियों के रख–रखाव हेतु लघु निर्माण महाविद्यालय प्रशासन की पूर्वानुमति से किया जा सकेगा।
16. आवश्यकतानुसार समय–समय पर अनुबंध की शर्तो में संशोधन परिवर्तन महाविद्यालय प्रशासन द्वारा किया जा सकेगा।
17. कैंटीन के संचालन के पश्चात् ही न्यूनतम मासिक किराया तय किया जाएगा।
18. मीटर की रीडिंग अनुसार प्रतिमाह बिजली बिल जमा करना होगा।

Divya Nema 05/08/26
डॉ. दिव्या नेमा
केन्टीन प्रभारी

5.8.26
(डॉ.गुरूदयाल सिंह बग्गा)
प्र. प्राचार्य
चं.चं.शासकीय महाविद्यालय धमधा,
जिला दुर्ग (छ.ग.)

प्राचार्य
चन्दूलाल चन्द्राकर शासकीय कला
एवं वाणिज्य महाविद्यालय
धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.)

E/CLC/Nema mam/ CANTEEN

केंटीन संचालन संबंधी आवेदन पत्र

// प्रारूप //

1. नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. पता ....
4. आधार नम्बर ....
5. मोंबाइल नम्बर ....
6. केन्टीन कार्य अनुभव अवधि ....
7. खाद्य विभाग से पंजीयन संबंधी प्रमाण पत्र ....
8. केन्टीन कार्य से सम्बन्धित अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र 1. ....
   2. ....
   3. ....
9. केन्टीन भवन मासिक/प्रतिमाह किराया की राशि ....

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम –
पता –
मों. नं. –

टीप : इच्छुक आवेदनकर्ता केन्टीन संचालन संबंधी प्रारूप (हस्तलिखित अथवा टंकित) में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

– घोषणा पत्र –

मै ....आत्मज .... एतद् द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है। मैने केन्टीन निविदा सम्बन्धी महाविद्यालय की शर्तो का अवलोकन/अध्ययन कर लिया है तथा पूर्ण रूप से मेरे द्वारा इनका पालन किया जायेगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाये जाने या महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो का मेरे द्वारा अवहेलना की जाती है तो महाविद्यालय प्रशासन को अधिकार है कि वे इस निविदा को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर सकते है।

स्थान ....
दिनांक ....

हस्ताक्षर

नाम –
पता –
मों. नं. –

E/CLC/Nema mam/ CANTEEN